न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 02 / 2023 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती सविता पत्नी शम्भूलाल जी मीणा, निवासी ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. पंचायत जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत गुमानपुरा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व
अ0 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव
राजस्व/आवंटन/2021/136 दिनांक 05.01.2022

———::———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 23–01–2025**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव ने आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/2021/136 दिनांक 05–01–2022 से ग्राम गुमानपुरा, तहसील ऋषभदेव की बिलानाम आराजी नंबर 4664 / 459 रकबा 1.0300 हैक्टर भूमि में से 0.15 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजकीय भवन हेतु सरपंच ग्राम पंचायत गुमानपुरा को आरक्षित किये जाने का आदेश किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24–07–2023 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सार्वजनिक आपत्तियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:47 IST
Reason: SelfAttested

आमत्रित किये बिना एवं वास्तविक रूप से मौका देखे बिना केवल पटवार मण्डल में बैठे–बैठे पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर दिया, जबकि उक्त जमीन पर प्रार्थी का कब्जा होकर दोनों फसले काश्त कर रही है तथा जमीन के चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है। प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, जिसे सुने बिना उक्त भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थी हितबद्ध होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि बिलानाम होकर नियमानुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के लिए राजकीय भवन हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया है, जिससे अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजी नंबर 4664/459 रकबा 1.0300 हैक्टर भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश से उक्त आराजी में से 0.15 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत गुमानपुरा के लिए राजकीय भवन हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश किया जिससे अपीलान्ट को किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति नहीं माना जा सकता। सरकारी भूमि को राजकीय हित में सेटअपार्ट करने का अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। अपीलान्ट/प्रार्थी विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताता है, जबकि कानूनन अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. खारिज किया जाकर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 23–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:47 IST
Reason: SelfAttested